न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमाक R 3720–दो/2013 जिला इंदौर

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–4–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर तहसीलदार के आदेश दिनाक 27–11–2012 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर तहसीलदार द्वारा अंतिम स्वरूप का आदेश पारित कर पूर्व नामांतरण आदेशों को निरस्त किया गया है । अपर तहसीलदार द्वारा पारित अंतिम स्वरूप के आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है । संहिता की धारा 50 के अंतर्गत अपीलीय आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रतिबंधित है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया विधि के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किए जाने के कारण अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	noted

निगरानी याचिका क्र. : /2013

प्रस्तुति दिनांक : 26.09.2013

श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर म.प्र.

इन्होके न्यायालय में

R-3720-II/13

1. मनीष दावानी पिता किशनलाल दावानी,
निवासी 401–ए, स्कीम नंबर 103, केसरबाग रोड,
इन्दौर (म.प्र.)

2–ए. श्रीमती वीना पति श्री विनोद कालरा,
पता – 4, विद्या नगर, इन्दौर (म.प्र.)

बी. श्रीमती टीना पति श्री राम चंदानी,
पता – विपिन आर्च, ई–55, एम.आई.जी. कॉलोनी,
इन्दौर (म.प्र.)

3. श्रीमती वीना पति श्री विनोद कालरा,
पता – 4, विद्या नगर, इन्दौर (म.प्र.)

4. विनोद पिता श्री मोहनलाल कालरा,
पता – 4, विद्या नगर, इन्दौर (म.प्र.)

5. श्रीमती देवी पति स्व. टेउराम चंदानी,
पता – विपिन आर्च, ई–55, एम.आई.जी. कॉलोनी,
इन्दौर (म.प्र.)

6ए. विनोद पिता श्री मोहनलाल कालरा,
बी. श्रीमती वीना पति श्री विनोद कालरा,
सी. रामचंदानी पिता टेउराम चंदानी,
डी. श्रीमती टीना पति श्री राम चंदानी ---- **प्रार्थीगण**

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन
तर्फे कलेक्टर, इन्दौर (म.प्र.)

2. अपर तहसीलदार,
तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर (म.प्र.) ---- **प्रतिप्रार्थीगण**